



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 124-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 17, 2017 (ASADHA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2017

संख्या: 59/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में, खाना 3 में,

- (i) क्रम संख्या 45 के सामने “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं (डिब्बा इकाई में रखी हुई तथा रजिस्टर्ड ब्रांड नाम रखने वाली से भिन्न)” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 148 के सामने, विद्यमान खण्ड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(vi) अब्रांजीकृत शहद”

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2017

No.59/ST-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Schedule, under column 3,-

- (i) against serial number 45, for the words and signs “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split”, the words and signs “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]” shall be substituted;
- (ii) against serial number 148, for existing clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:-
“(vi) Unbranded honey”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.